न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प जसोल

पीठासीन अधिकारी—श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलांट	बनाम्	रेस्पोडेंट
1.	36/2016	महेश कुमार पुत्र माणकमल जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कालोनी ,बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
2.	37/2016	1.महेश कुमार पुत्र माणकमल 2.सुनिता पत्नि महेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कालोनी ,बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
3.	38/2016	मदनलाल पुत्र कालुराम जाति प्रजापत निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
4.	39/2016	जगदीश पुत्र सावंलराम जाति सुथार निवासी,बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
5	40/2016	पवन कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
6.	41/2016	1.मायादेवी पत्नि द्वारका प्रसाद 2.मधुदेवी पत्नि ओमप्रकाश 3.सीतादेवी पत्नि पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
7.	42/2016	1.सुधीर कुमार पुत्र श्याम सुन्दर 2.गीता देवी पत्नि भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
8.	43/2016	जोगाराम पुत्र गुमनाराम जाति नाई निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
9.	44/2016	मुरलीधर पुत्र ओमप्रकाश जाति पालीवाल निवासी बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल

जिला कलक्टर
बाड़मेर

		तहसील पचपदरा		
10.	45 / 2016	रमेश कुमार पुत्र मुकनचन्द जाति जैन निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
11.	46 / 2016	रामचन्द्र पुत्र मदनलाल अध्यक्ष अग्रवाल समाज बालोतरा एंव अध्यक्ष वृन्दावन बगेची बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
12	47 / 2016	1.अरूणकुमार पुत्र ओमप्रकाश 2.ओमप्रकाश पुत्र गिरधारीलाल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा 3.नेमाराम पुत्र हरीराम जाति प्रजापत निवासी समदड़ी 4.जितेन्द्रकुमार पुत्र राजेन्द जाति मेवाड़ा 4.रचना देवी पत्नि विनय कुमार बरमेचा जाति जैन निवासी बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
13.	48 / 2016	1.किशनलाल पुत्र मिश्रीमल 2.पवन कुमार पुत्र रतनलाल जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
14.	50 / 2016	झूठमल पुत्र चतराजी जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
15.	51 / 2016	संतोष पुत्र राजमल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
16.	52 / 2017	भैरूलाल पुत्र झूठमल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
17.	53 / 2016	गोतमचन्द पुत्र भीखचन्द जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

18.	54 / 2016	प्रवीण कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
19.	55 / 2016	1.महेन्द्र कुमार पुत्र जसराज कोठारी जाति ओसवाल निवासी जसोल 2.भगवतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल 3.चंपालाल पुत्र मगाराम जाति प्रजापत निवासी माजीवाला तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
20.	56 / 2016	संतोष पुत्र राजमल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
21.	57 / 2016	गोतमचन्द पुत्र चंदनमल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
22.	58 / 2016	संगीतादेवी पत्नि भरत कुमार जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
23.	59 / 2016	भुराराम पुत्र गणेशाराम जाति कलबी निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
24.	60 / 2016	डायाराम पुत्र छगनलाल जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
25.	62 / 2016	मूलाराम पुत्र वागाराम जाति कलबी निवासी दांखा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल
26.	63 / 2016	बींजाराम पुत्र सावंलाराम जाति प्रजापत निवासी बालोतरा तहसील,पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,जसोल

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2016,03.02.2016 व 18.02.2016द्वारा उप तहसीलदार, जसोल

उपस्थितः–1.अपीलांट्स उपस्थित। अपीलांटस के अधिवक्ता अनुपस्थित ।
2.श्री भागीरथराम चौधरी तहसीलदार,पचपदरा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.05.2016

1. इन सभी अपीलों में एक समान तथ्य एंव एक ही विवाद बिन्दु होने से इनका निस्तारण संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
2. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालोतरा–ा ने उप तहसीलदार जसोल के समक्ष एक रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अपीलांट्स ने मौजा जसोल के खसरा नम्बर 870 व 1741/982 किस्म गैर मुमकिन नदी की भूमि में पक्के मकान,दुकान, कमरे,गोदाम,समाज भवन एंव बाउण्डरी बनाकर नाजायज अतिक्रमण किया है। इस पर उप तहसीलदार,जसोल ने अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, बाद जॉच व सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2016, 03.02.2016 एंव 18.02.2016 द्वारा अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, एंव जुर्माना आरोपित किया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
3. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट जसोल में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट्स उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट्स की ओर से तहसीलदार पचपदरा उपस्थित रहे। अपीलांट्स के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अपीलांट झूठमल, गौतचन्द चम्पालाल, महेन्द्रकुमार, संगीतादेवी, भगवतसिंह,प्रवीण कुमार, भैरूलाल एंव संतोष ने लिखित प्रकथन प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।
5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलांट भैरूलाल का यह कथन कि मौजा बालोतरा के खसरा नम्बर 870 की भूमि का सीमांकन कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। फर्द

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मौका रिपोर्ट में 56 व्यक्तियों के लिये धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाना प्रस्तावित किया गया जबकि दूसरी बार उसी टीम द्वारा 90 व्यक्तियो को अतिक्रमी होना मानकर कार्यवाही की गई है,जिससे दोनो मौका रिपोर्ट में भारी भिन्नता है इस भिन्नता के कारण अपीलांट्स को अतिक्रमी माना है। जो गलत है। उन्होने कथन है कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश अनुसार दिनांक 07.05.14 से 12.05.2014 को नदी का सीमाकंन निर्देशित टीम द्वारा जीपीएस से सही किया गया था उस चिन्हित अतिक्रमणों की सूची में हमारा नाम नहीं था,तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी के पुनः आदेश से दिनांक 12.03.2015 से 02.04.2015 को नदी का सीमांकन निर्देशित टीम द्वारा जीपीएस से माप किया गया उसमे अतिक्रमी मानकर धारा 91 की कार्यवाही की गई है, परन्तु उस टीम द्वारा किये गये माप में भी हमारा मकान नदी के अतिक्रमण में नहीं आता था। अपीलांट के मकान के पीछे की ओर जो दुकाने बनी हुई है,उन दुकानों की सीमा तक अतिक्रमण माना गया था। हमारे मकान के पीछे स्थित दुकान के बीचो–बीच में लाल कलर का निशान चिन्हित किया गया जो कि हमारी भूमि से काफी दूर है। आक्षेपित बताये गये मकान के पीछे दक्षिण मे दुकाने बनी हुई है और उन दुकान से दक्षिण की ओर नगरपालिका की आम सड़क आई हुई है उससे दक्षिण की ओर वृद्वावन बगीचा बना हुआ है वृद्वावन बगीचा से आगे दखिण में नदी की सीमा शुरू होती है। यह स्थिति रिकॉर्ड पर होने के बावजूद भी इन तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलांट को अतिक्रमी माना है,जो कानूनन गलत है। इस सम्बन्ध में अपीलांट ने नजरी नक्शा पेश करते हुए कथन किया कि अपीलांट के मकान के आस पास पुरी आबादी बसी हुई है। नजरी नक्शा में पूर्व की ओर प्रथम मकान अपीलांट भैरूलाल का एंव भैरूलाल के मकान के पश्चिम में प्रवीणकुमार का एंव उससे आगे गोतमचन्द का मकान ,परमेश्वरी देवी का मकान,संतोष कुमार का मकान और पश्चिम में शांतिलाल का मकान आया हुआ है। जो नोटिस दिया गया है उसमें जानबूझकर उपरोक्त कम में बने मकानो के विपरित रूप से मकानो को बताकर नोटिस दिया गया है जिसमें अपीलांट के मकान को पश्चिम की तरफ का पहला मकान संस्कृत स्कूल के पास बताया गया है,जबकि संस्कृत स्कुल के पास मकान शांतिलाल बच्छराज का है जो दो गलियो का मकान है इस प्रकार से अंकन कर पटवारी हल्का द्वारा जो आवेदन पत्र उप तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है, वह गलत है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 609 आबादी की भूमि में स्थित होने से धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही करने का विधि सम्मत अधिकार नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उनका यह भी कथन है कि विवादग्रस्त भूमि पर भू–स्वामित्व लगभग 50–60 वर्ष पुराना व नगरपालिका द्वारा पट्टा सुद है जिस पर नगरपालिका से भवन निर्माण की ईजाजत लेकर मकान निर्माण करवाया गया है और नगरपालिका बालोतरा द्वारा सड़क,पानी बिजली वृद्धावन बगीचा आदि का निर्माण कई वर्ष पूर्व किया गया उस समय विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। नदी का माप पहले सेटलमेंट टीम द्वारा सांकल से कर नक्शा बनाया गया उस समय भी नदी का पेटा उबड़–खाबड़ था अब जीपीएस से माप करने से उसकी काफी भिन्नता होने की संभावना रहती है और अलग अलग जीपीएस से माप करने पर भी 10.15 फीट मापमें फर्क जाने की संभावना रहती है जो भिन्न एंव कहीं कहीं पर 10–15 फीट से भी ज्यादा है तथा सीमांकन टीम द्वारा जिस बालोतरा–जसोल सीमा से माप लाया गया है वहा पर भूमि का क्षेत्रफल अधिक व स्ट्रोन में काफी भिन्नता है। अपीलांट संगीता देवी ने अपने कथनो में बताया कि हमारे मूल पट्टाधारी पुखराज, राधेश्याम गणेशीलाल को किसी भी प्रकार का नदी में अतिक्रमी नहीं बताया गया है पूर्व मे गठित सीमांकन टीम द्वारा चिन्हित अतिक्रमणों की सूची मे हमारा नाम नहीं था। खसरा नम्बर 609 की भूमि नगरपालिका बालोतरा की आबादी भूमि है, जिस पर नगरपालिका बालोतरा ने राधेश्याम पुत्र पुखराज व गणेशीलाल के पक्ष में दिनांक 24.12.2001 को पट्टे जारी किये गये एंव जारी पट्टों पर पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 29.12.2001 को उप पंजीयक जसोल में पंजीबद्ध किया गया। रजिस्टर्ड पट्टो एंव बेचान दस्तावेज के विवाद को सुनने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। इनका का यह भी कथन कि उक्त भूमि मैंने जगदीश पुत्र बस्तीराम, धर्मेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर, महेन्द्रकुमार पुत्र फरसराम, गुलाबकी देवी पत्नि महेन्द्रकुमार व शांतिलाल पुत्र बच्छराज को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी है। इसी प्रकार के कथन प्रवीण कुमार, महेन्द्रकुमार ने व्यक्त किये। अपीलांट गौतमचन्द का यह कथन है कि उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के आदेश से दिनांक 07.05.14 से 12.05.14 को नदी का सीमांकन निर्देशित टीम द्वारा जीपीएस से सही किया गया था इसके बाद पुनः आदेश से दिनांक 12.03.15 से 02.04.15 को नदी का सीमांकन निर्देशित टीम द्वारा जीपीएस से माप गलत किया गया, मगर इस टीम द्वारा किये गये माप में भी हमारा मकान नदी के अतिक्रमण में नहीं आता है। इसके बावजूद हमारे विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है, जो गलत है। इनका यह भी कथन है कि टीम द्वारा नदी के माप का नक्शे में अंकित बिन्दु संख्या 08(मुटान संख्या 45)से नदी के अन्तिम सीमा पर (810M)का निशान किया गया उस

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सीमा से लगभग 141 M पश्चिम की तरफ निशान कर पुनः बिन्दु संख्या 8 को मिलाने पर 812 M माप नक्शे में दर्शाया गया है। दोनो माप से 2 M का अन्तर है उक्त निशान से मिलाने पर हमारी मौका स्थिति भूमि की लाईन से लगभग 40 फीट अन्दर की तरफ स्थित है जो किसी भी ऐंगल से नदी के अन्तर्गत नहीं आती है। बालोतरा छतरियो के मोर्चे के पास मस्जिद स्थित है। उक्त भूमि में पुरानी बेनी बनी हुई है, जो सेटलमेट के समय से आज दिन तक कायम है। जसोल एंव बालोतरा की जहॉ सीमा मिलती है,उस जगह करीब 100 फीट चौड़ाई की जमीन को जान बूझकर सर्वे कमेटी द्वारा अतिक्रमियों के दबाव में छोड़ा जाकर भूमि का नाप शुरू किया गया तथा मूल रूप से सेटलमेंट के जो पत्थर गांवो की सीमांकन के लगे हुए थे उनमें भी छेंड़छाड कर उनको अन्यत्र स्थानान्तरित कर भूमि का नाप बदला गया जिस कारण आस पास के सभी खसरो की भूमि के नाप व सेढे प्रभावित हो रहे है। वह सेटलमेंट का प्रमाणित चिन्ह है जिनका खसरा नम्बर 603 है। यदि खसरा नम्बर 603 के समस्त भूमि का माप करवाया जावे तो वादग्रस्त भूमि स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 609 की आबादी भूमि होने का प्रमाणित है मगर ऐसा भू–माप राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अपीलांट भगवतसिंह का यह कथन कि पूर्व के अतिक्रमणो में उसका अतिक्रमण नहीं बताया। दुबारा सीमांकन में गलत रूप से धारा 91 का नोटिस देकर अतिक्रमण बताया है जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा खातेदारी भूमि है जिस पर कब्जा कई वर्षो से इसी जगह पर है। उक्त खसरे के पास खसरा नम्बर 599 का बेरा स्थित है। यह भूमि नदी के अतिक्रमण मे नहीं आती है। अपीलांट झूठमल का यह कथन है कि खसरा नम्बर 870 गैर मुमकिन नदी में मेरी नाजायज दुकाने बताकर अतिक्रमण बताया है, जो गलत है वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मेरे विरूद्ध मानसिक पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य से जो कार्यवाही की जा रही है, उसका स्वामित्व एंव आधिपत्य मेरा नहीं है। उपरोक्त चारो दुकाने जिसमें एक दुकान तखतसिंह पुत्र भैरूलाल, दो दुकाने नरेशकुमार पुत्र मगराज की एंव चौथी दुकान की जगह प्याऊ बनी हुई है तथा मेरे नाम से वर्तमान में कोई भी सम्पति मौके एंव रिकॉर्ड में नहीं होने का कथन किया है। अपीलांट महेश कुमार पुत्र माणकमल ने अपने कथनो में बताया कि उसका खसरा नम्बर 1741/982 पर अतिक्रमण नहीं है। उसके हक हकूक व आधिपत्य की जो भूमि है,वह भूमि खसरा नम्बर 1741/982 की न होकर खसरा नम्बर 597 की भूमि है,जो मूल रूप से खसरा नम्बर 597 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा भूमि सवाराम के खातेदारी की भूमि थी। सवाराम की मृत्यु उपरान्त उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूमि उनके पुत्र पूनमचन्द के नाम दर्ज की गई और खसरा नम्बर 599 की 01 विस्वा भूमि गैर मुमकिन बेरे के रूप में और इसी अनुसार पूनमचन्द के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिनसे जरिये ईकरारनामा के इस खसरा नम्बर 597 की भूमि अपीलांट महेन्द्रकुमार एंव चंपालाल द्वारा खरीद की गई है। जिनको नगरपालिका से नियमन कर अपीलांट महेन्द्रकुमार पुत्र जसराज जाति ओसवाल के पक्ष में शाश्वत लीज का पट्टा संख्या 4654 दिनांक 28.7.2011, एंव चम्पालाल पुत्र मगाराम जाति प्रजापत को शाश्वत लीज का पटटा संख्या 3663 दिनांक 28.07.2011 जारी किये गये है।इन जारी पट्टों पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार,जसोल द्वारा एंव जॉच कमेटी द्वारा जॉच नहीं की गई है। आक्षेपित अतिक्रमण बताई भूमि एंव बाउण्डरी से दक्षिण की ओर नगरपालिका के आम सड़क बताई है उससे दक्षिण की ओर दक्षिण में नदी की सीमा शुरू होती है इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। दीगर अपीलांट्स ने भी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विवादग्रस्त भूमि नगरपालिका बालोतरा की आबादी क्षेत्र की भूमि होने,नगरपालिका द्वारा पट्टे जारी करना,जारी पट्टे रजिस्टर्ड होने व भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बेचान होने से भूमि पर स्वामित्व एंव आधिपत्य होने से अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का निवेदन किया।

6. इसके जवाब में रेस्पोडेंट की ओर से तहसीलदार,पचपदरा यह तर्क है कि विवादित खसरा नम्बर 870,1741/982 गैर मुमकिन नदी की भूमि पर अपीलांट्स ने पक्के निर्माण, मकान एंव दुकान बना कर अतिक्रमण किया है। सीमांकन टीम द्वारा किये गये सर्वे में अपीलांट्स की भूमि गैर मुमकिन नदी में आती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव सर्वे दल की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट का इन खसरों की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जॉच जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एव न्यायोचित है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील खारिज की जाए।

7. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। आदेश व अपीलाधीन पत्रावली एंव अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एंव पट्टो की छाया प्रतियां का भलीभॉति अध्ययन एंव विश्लेषण किया। उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा के आदेश से विवादग्रस्त भूमि का दिनांक 07.05.14 से 12.05.2014 को नदी का सीमाकंन निर्देशित टीम द्वारा जीपीएस से किया गया था,उसे कुछ अपीलांट्स स्वीकार करते है और उस चिन्हित अतिक्रमणों की सूची में अपीलांट्स के नाम नहीं था, तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा के पुनः आदेश दिनांक 12.03.2015 से 02.04.2015 को नदी का सीमांकन निर्देशित टीम द्वारा जीपीएस से माप किया गया उसमे

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अतिक्रमी मानकर धारा 91 की कार्यवाही की गई है। मगर उस टीम द्वारा किये गये माप में भी अपीलांट के मकान नदी के अतिक्रमण में नहीं आना बताया। सर्वे टीम द्वारा अपीलांट्स के मकान के पीछे स्थित दुकान के बीचो–बीच में लाल कलर का निशान चिन्हित किया गया जो उनकी भूमि से काफी दूर है। अपीलांट ने विवादग्रस्त भूमि पर भू–स्वामित्व लगभग 50–60 वर्ष पुराना व नगरपालिका द्वारा पट्टा जारी होने की प्रतियां पेश की है और नगरपालिका बालोतरा द्वारा सड़क,पानी बिजली वृद्धावन बगीचा आदि का निर्माण कई वर्ष पूर्व किया गया है,उस समय अपीलांट् के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रमाण पत्रावली में नहीं है। नदी का माप पहले सेटलमेंट टीम द्वारा सांकल से कर नक्शा बनाया गया उस समय भी नदी का पेटा उबड़–खाबड़ था अब जीपीफ से माप करने से उसकी काफी भिन्नता बतायी है और अलग अलग जीपीएफ से माप करने पर भी 10 से 15 फीट माप में फर्क जाने की संभावना है, जो कहीं कहीं पर 10–15 फीट से भी ज्यादा अन्तर बताया है तथा सीमांकन टीम द्वारा जिस बालोतरा–जसोल सीमा से माप लाया गया है वहा पर भूमि का क्षेत्रफल अधिक व स्ट्रोन में अपीलांट्स द्वारा काफी भिन्नता बतायी है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है।

अपीलांट्स ने यह कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश अनुसार दिनांक 07.05.2014 से दिनांक 12.05.2014 को नदी का सीमांकन निर्देशित टीम द्वारा जी.पी.एस. से सही किया गया था उस चिन्हित अतिक्रमणों की सूची में हमारा नाम नहीं था तथा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के पुनः आदेश से सीमांकन में 91 का नोटिस जारी कर बेदखली का गलत आदेश पारित किया है। इस सम्बन्ध में गठित टीम द्वारा मौजा बालोतरा के खसरा नम्बर 870 की भूमि पर सीमांकन रिपोर्ट में 56 व्यक्तियो के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाना प्रस्तावित किया है,जबकि दुबारा उसी टीम द्वारा 90 व्यक्तियो को अतिकमी होना मान कर कार्यवाही की गई है। इस भिन्नता का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में नहीं दर्शाया गया है।

सर्वे टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एंव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एंव फोटोग्राफ्स के अवलोकन से नदी का पाट जहॉ तक है,उस जगह पुरानी सीढिंया बनी हुई है,नदी के बीच मे पुरानी बेरिया भी विभिन्न समुदायों की होने से सीढियों एंव पुरानी बेरियो को सर्वे टीम द्वारा नजरंअदाज किया है,इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ध्यान नहीं देकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के इस कथन पर कि छतरीयो के मोर्चे के पास बालोतरा में मस्जिद की पुरानी बनी बेरी जो वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक कायम होने से

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सेटलमेंट का प्रमाणित चिन्ह होने और यह खसरा नम्बर 603 होने से इस खसरे से समस्त भूमि का माप करवाया जाने पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 609 की आबादी भूमि होना प्रमाणित होती है,सीमांकन टीम एंव अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर आदेश पारित किया है। अपीलांट के मकान के पीछे की ओर जो दुकाने बनी हुई है, उन दुकानों की सीमा तक अतिक्रमण माना गया है। इसके बावजूद दुकाने के पीछे वाले मकानों पर अतिक्रमण की कार्यवाही किस आधार पर की गई,उसका कोई कारण एंव उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं है। इसी प्रकार आक्षेपित अतिक्रमण बताये गये मकान के पीछे दक्षिण मे दुकाने बनी हुई है तथा उन दुकान से दक्षिण की ओर नगरपालिका की आम सड़क आई हुई है उससे दक्षिण की ओर वृद्धावन बगीचा एंव बगीचे से आगे दक्षिण में नदी की सीमा शुरू होती है इस स्थिति को भी ध्यान में रखन चाहिये था।

रेस्पोडेंट का यह कथन कि अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर पुराना अतिक्रमण है,मगर अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का पूर्व मे कब्जा होने या अतिक्रमण का कोई विवेचन एंव विवरण अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस किस अपीलांट का कब से एंव कितने वर्षो से अतिक्रमण है एंव कितने पुराने निर्माण है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से एंव अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत कथनो एंव दस्तावेज के अवलोकन से विवादग्रस्त भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बेचान भी हुआ है और अपीलांटस के पक्ष में नगरपालिका बालोतरा द्वारा पटटे जारी किये है और जारी पट्टों पर विक्रय पत्र का निष्पादन कर उपपंजीयक जसोल में पंजीयन करवा दिया है। इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है इस प्रकार यदि विवादग्रस्त भूमि को नदी की भूमि माना जाता है,और अपीलांट्स का पुराना अतिक्रमण है, तो भूमि का पंजीयन एंव बेचान किस आधार पर किया गया, इसका भी निर्णय में कोई विवेचन नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह सुनिश्चित करना था कि नगरपालिका को पक्षकार बना कर सुनवाई का समुचित अवसर देकर पट्टो की जॉच करते। मगर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार ने नगरपालिका मण्डल बालोतरा से पट्टो बाबत कोई जॉच नहीं की और न हीं नगरपालिका को पक्षकार बनाया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेजों की प्रतियां के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि का बेचान भी हुआ है। बेचान पश्चात् अपीलांट को किस आधार पर पक्षकार बनाया एंव खरीददार को पक्षकार क्यों नहीं बनाया इसका भी कोई अपीलाधीन आदेश में विवेचन नहीं है। जबकि न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही में सम्बन्धित प्रभावित पक्षकार को

जिला कलक्टर
बाड़मेर

साक्ष्य एंव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधि के प्रावधानो के अनुरूप सम्पूर्ण तथ्यो एंव दस्तावेजात की विधि पूर्वक समीक्षा एंव विवेचन करने के पश्चात् वादगस्त भूमि के सम्बन्धी में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजात पर गुणावगुण पर निष्कर्ष पारित करते हुए आदेश पारित करते। ऐसी किसी प्रकिया के अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एंव विधिअनुकूल नहीं होने से अपास्त योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2016, 03.02.2016 एंव 18.02.2016 को अपास्त किया जाता है और मामला उप तहसीलदार जसोल को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त ओबजरवेशन को मध्य नजर रखते हुए बाद जॉच नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय कैम्प जसोल में आज दिनांक 26.05.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

परीकारी हेतु शुल्क बाबत विवाद होने पर विवाद पंच फैसले से निर्णय करायेंगे।